न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 104/2019

मैसर्स विनायक स्टोन क्रेशर अईपुर घाटरी जरिये मुंशी पुत्र भज्जूराम जाति गुर्जर निवासी सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर

........रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 व मुकदमा रिपोर्ट पटवारी घाटरी बनाम मॉ कैलादेवी स्टोन केशर मि0न0 07/2016 कार्यवाही अन्तर्गत 90(ए) भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 26.10.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 90(ए) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को ग्राम घाटरी की आराजी खसरा नम्बर 45 रकवा 7 वीघा 19 विस्वां ग्राम अईपुर पर कार्यालय आवास व रास्ता पक्का माल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

डालकर बिना भूमि रूपान्तरण कराये कृषि भूमि का अकृषि भूमि का उपयोग करने पर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 45 में से 6637 वर्गमीटर भूमि का व्यावसायिक उपयोग के लिये संपरिवर्तन कराकर क्रेसर लगाया गया है व उसी में कच्चा पक्का माल रखा जाता है उक्त खसरा नम्बर के रकवे को कच्चा पक्का माल डालकर कृषि से अकृषि के उपयोग में नहीं लिया गया है। यह बात नोटिस के जबाब में भी लिखकर दी गई थी परन्तु असल तथ्यों की जाच किये बिना केवल पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया गया है जो कि अवैधानिक है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि उक्त खसरा नम्बर में काफी लोग सहखातेदार है व मौके पर एक ही बिना विभाजित नम्बर है। सभी सहखातेदारों से पूछताछ व जांच करनी चाहिये थी, मात्र अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही करना अवैधानिक है। मौके पर जाकर सत्यता का पता लगाना चाहिये था और अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का मौका देना चाहिये था। पटवाारी हल्का के बयाना भी लेने चाहिये थे। राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.10.2016 के अनुसार कृषक एक एकड भूमि तक अपनी खातेदारी की भूमि को लघु उद्योग के कार्य में बिना संपरिवर्तन कराये काम में ले सकता है, इससे भूमि की किस्म नहीं बदलती है, भूमि कृषि भूमि ही मानी जावेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली की कार्यवाही के साथ ही माल को कब्जे राज लेकर उसे नीलामी के आदेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

देने में कानूनी भूल की है, आदेश से पूर्व अतिक्रमी को भूमि खाली करने का अवसर देना चाहिये था परन्तु विधि के अनुरूप कार्यवाही न करके एक राठौरी आदेश पारित कर दिया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट उपस्थित होकर नोटिस का जबाब दिया व मौके पर अतिक्रमण होने से इंकार किया इस पर अदालत ने मौके पर स्वयं जाकर निरीक्षण करने की बात कही व आगे की कोई तारीख नहीं दी व अग्रिम कार्यवाही की सूचना से अवगत कराने के लिये कहां परन्तु बिना किसी सूचना के उक्त आदेश चार साल पहले ही दे दिया व प्रार्थी अपने विरूद्ध कार्यवाही के समाप्त होने की बात समझता रहा परन्तु अब दिनांक 24.11.2019 को पटवारी ने अपीलान्ट के विरूद्ध सन् 2016 के आदेश के तहत कार्यवाही करने के लिये कहां तो अपीलान्ट ने दिनांक 25.11.2019 को ही नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 25.11.2019 को नकल प्राप्त हुई, तब उसे उसे पढकर असल जानकारी दिनांक 25.11.2019 को मिली। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है फिर भी दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 90(ए) के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार ने अपील

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2016 द्वारा विनायक स्टोन केशर के आराजी खसरा नम्बर 45 रकवा 7 वीघा 19 विस्वा में से 3 वीघा खातेदारी भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि प्रयोजन काम में लेने के कारण बेदखल किये जाने एवं गैर रूपान्तरण भूमि पर पडे कलवे को कब्जे राज लेने के आदेश दिये गये है। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070–73 आराजी खसरा नम्बर 45 रकवा 7 वीघा 19 विस्वा ग्राम अईपुर पर बनयसिंह पुत्र हरकिशन 1/6 कौम धोबी सा. गांधी चौक बयाना, शिब्बू पुत्र छिगा 1/6, सुखचन्द पुत्र अमोलक 1/6, बसन्ता पुत्र मेघा, तेजपाल पुत्र सुक्का हि. बरा. 2/9, दयाल पुत्र नानगा 1/18, पूरनदेई पत्नी नानगा 1/18, भरतलाल पुत्र कलुआ 1/90 कौम जाटव सा.देह, प्रतापसिंह पुत्र बालेराम कौम कोली 14/90 सा. बयाना खातेदार हि. तेजपाल बसन्ता रहन यूको बैक भुसावर हि. शिब्बू सुखचन्द रहन एसबीआई भुसावर इन. 699 रहनमुक्त 704 वय के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विनायक स्टोन केशर द्वारा प्रस्तुत जबाब में आराजी खसरा नम्बर 45/1 रकवा में से 6637 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण कराये जाने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.07.2016 में 6637 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण किये जाने का अंकन किया गया है परन्तु अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 45 के सम्पूर्ण रकवे को केशर के काम में लिये जाने के संबंध केवल विनायक स्टोन केशर को ही सुना गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रकवा के सहखातेदारों को भी सुना जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

न्यायालय ने विधिवत पक्षकारों को नहीं सुना है और न ही पटवारी हल्का के बयान आदि लिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नही है। उक्त प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये एवं विधिवत जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार भुसावर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार भुसावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भुसावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वे पक्षकारो को सुनवाई, साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देकर जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहसीलदार भुसावर से प्राप्त तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)